भारत संघ व अन्य

बनाम

दिनेशन के.के.

(सिविल अपील संख्या 25/2008)

जनवरी 4, 2008

[न्यायाधिपतिगण- सी.के. ठक्कर व डी.के. जैन]

सेवा कानून - वेतनमान - समानता - असम राइफल्स में ' रेडियो मैकेनिक्स ' का रैंक - अन्य अर्धसैनिकबलों में अपने समकक्षों के साथ समानता का दावा - उनकी शक्तियों, कर्त्तव्यों में अन्तर के बावजूद चौथेवेतन आयोग में प्रारम्भिक विसंगति के कारण उत्पन्न असमानता जिम्मेदारियों - अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई असामानता - माना गया कि रेडियो मैकेनिक अन्य अर्धसैनिक बलों में अपने समकक्षों के साथ वेतनमान में सामानता के हकदार थे - अधिकारियों द्वारा समानता से इनकार ' अतार्किक मनमाना और संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 – समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14, 16 और 39(डी) - समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धान्त – प्रकृति और प्रयोज्यता -

विनिश्चिय: प्रारम्भ में इसे निदेशक सिद्धान्तों के एक भाग के रूप में पेश किया गया था, बाद में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिला - समान कार्य के प्रत्येक मामले में सिद्धान्त का कोई गणीतीय अनुप्रयोग नहीं है।

न्यायिक समीक्षा - वेतन निर्धारण की - विनिश्चिय: वेतन का समानीकरण जटिल होने के कारण, आम तौर पर कार्यपालिका और विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाता है, यद्यपि, न्यायिक समीक्षा की अनुमति है, जहाँ राज्य के कर्मचारी के साथ कार्यवाही या निष्क्रियता द्वारा अन्यायपूर्ण और मनमाना व्यवहार किया किया जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पत्र दिनांकित 10.10.1997 के जरिए यह अधिसूचित कर देने के बाद, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के वेतनमान एवं रैंक संरचना के युक्तिसंगत करने की अनुमति दे दी गई है, फरवरी, 1998 में असम राईफल्स के निदेशालय द्वारा मंत्रालय के नोटिस में यह तथ्य ला दिया गया था कि रेडियो मैकेनिक की रैंक सहित कुछ श्रेणियाँ के कार्मिकों की सेवा शर्तों में असमानता उत्पन्न हो गई थी तथा असम राईफल्स में रेडियो मैकेनिक और हैड कान्सटेबल को वारण्ट ऑफिसर के रूप में पुनः पदनामित कर दिया जाए एवं उन्हें अन्य अर्ध सैनिक बलों में अपने समकक्षों के बराबर वेतनमान रुपये 4000-6000 के अन्तर्गत पुनःस्थापति कर दिया जाए। मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांकित 03.03.1998 से उनको यह सूचित किया गया कि हैड

कान्सटेबल (रेडियो मैकेनिक) को वारण्ट आॅफिसर के रूप में पुनःपदनामित किया जा सकता है, बशर्ते कि, उनका पुनरीक्षिण पूर्व एवं पुनरीक्षित वेतनमान सीऔरपीएस एवं बीएसएफ में उनके समकक्षों के अनुरूप हो। असमानता का निराकरण नहीं हुआ। दिनांक 24.04.2001 को असम राईफल्स के महानिदेशक द्वारा वेतन विसंगतियों के मामलों से सम्बन्धित एक प्रगति रिपोर्ट सरकार में भेजी गई। चूंकि सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं औई तो एक रेडियो मैकेनिक द्वारा सरकार एवं असम राईफल्स के महानिदेशक को एक माँग सूचना यह प्रार्थना करते हुए जारी की गई कि, कार्यालय आदेश दिनांक 10.10.1997 को लागू किया जाए। सरकार द्वारा दिनांक 26.12.2001 को आदेश जारी कर असम राईफल्स के महानिदेशक की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया।

असम राईफल्स में रेडियो मैकेनिक के पद पर कार्यरत प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला है जिनमें समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर विचार, व्याख्या और कार्यान्वयन किया

गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में प्रतिपादित किया गया था। इस प्रकार, अनुच्छेद 14 और 16 में समानता और भेदभाव के विरूद्ध निषेध के संवैधानिक आदेश को ध्यान में रखते हुये समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत ने मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त कर लिया है। [पैरा 9] [107-जी, 108-ए, सी]

डी.एस. नाकारा व अन्य बनाम भारत संघ 1983(1) एससीसी 305 - अनुसरित

रणधीर सिंह बनाम भारत संघ व अन्य 1982(1) एससीसी 618 - अवलम्बित

1.2 प्रारंभ में, विशेष रूप से अस्सी के दशक की शुरुआत में, उक्त सिद्धांत को एक पूर्ण नियम के रूप में लागू किया जा रहा था, लेकिन अन्य संवर्गों पर इसके व्यापक प्रभाव को महसूस करते हुए, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में सावधानी बरती गई कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत समान कार्य के प्रत्येक मामले में गणितीय ढंग से लागू नहीं होता। यह देखा गया है कि पदों के समानीकरण और वेतन संरचना के समीकरण जटिल होने के कारण यह कार्य आम तौर पर कार्यपालिका और विशेषज्ञ निकायों जैसे वेतन आयोग आदि पर छोड़ दिए जाते हैं। इस बात

पर जोर दिया गया है कि सावधानीपूर्वक विकसित वेतन संरचना में आमतौर पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ सकता है और अन्य संवर्गों में भी टाली जा सकने वाली पेचिदगियाँ पैदा हो सकती है। [पैरा 10] [108-डी, ई]

सचिव, वित्त विभाग व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ 1993 सप्ली. (1) एसीसी 153; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सोनल स्टाफ संघ 2002(6) एसीसी 72 - सन्दर्भित

1.3 ऐसा एकाकी नियम तय करना उचित नहीं होगा कि केवल इसलिए कि वेतनमान स्वीकृति एवं निर्धारण का विशेषाधिकार कार्यपालिका को है तो न्यायालय को वेतन संरचना के परीक्षण का क्षेत्राधिकार नहीं होगा एवं पीड़ित कार्मिकों को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा, जैसा कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रचारित किया गया है, उपचार उपलब्ध नहीं होगा। निस्संदेह, जब समान पद या रैंक धारित करने वाले वाले व्यक्तियों की योग्यता, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार केवल इसलिए किया जाता है कि वे अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं या पदों के वर्गीकरण का आधार प्रथम दृष्टया अतार्किक, मनमाना या अन्यायपूर्ण है,

तो ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। [पैरा 10] [108-एफ, जी; 109-ए, बी]

हरियाणा राज्य व अन्य बनाम चरणजीत सिंह व अन्य 206(9) एसीसी 321- अवलम्बित

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया व अन्य बनाम एम.और. गणेश बाबू व अन्य 2002(4) एससीसी 556; हरियाणा राज्य व अन्य बनाम जसमेर सिंह व अन्य 1996(11) एसीसी 77; तिलक राज उड़ीसा कृषि एवं तनकीनी विश्वविद्यालय व अन्य बनाम मनोज के.मोहन्ती 2003(5) एसीसी 188; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम तरूण रॉय व अन्य 2004(1) एसीसी 347- सन्दर्भित

2.1 प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने शपथ पत्र में रेडियो मैकेनिकों के वेतनमान में दृष्यमान असमानता एवं विसंगति के तथ्य को स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट भेदभावपूर्ण वर्गीकरण को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले असम राइफल्स के कर्मियों के पूर्व-संशोधित और संशोधित वेतनमान में असमानता के कारण वेतनमान में, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ होने के बावजूद हमारी सुविचारित राय में, भारत संघ की ओर से ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया कि असम राईफल्स के रेडियो मैकेनिक्स अन्य अर्धसैनिक बलों के

रेडियो मैकेनिक्स की तुलना में अधिक कठिन एवं ज्यादा भारित कार्य सम्पादित कर रहे थे। अतः सरकार का आलौच्य आदेश स्पष्टया अविवेकपूर्ण एवं मनमाना था, जो इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। [पैरा 20] [115-जी, एच; 116-ए, बी]

2.2 यह स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया है कि: (i) असम राइफल्स सहित सभी अर्धसैनिक बल एक-दूसरे के समान हैं और (ii) असम राइफल्स के कर्मियों के वेतनमान में अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उनके समकक्षों के साथ स्पष्ट असमानता थी। इस असमानता को सुधारने के लिए, असम राइफल्स के महानिदेशक, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने, अपने पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1998 के माध्यम से, वास्तव में, गृह मंत्रालय के साथ प्रतिवादी की शिकायत उठाई थी, असम राइफल्स के हवलदार (आरएम) जीडी- I और II को वारंट ऑफिसर के रूप में पदनामित करने और उन्हें अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों में उनके समकक्षों के बराबर लाने के लिए 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में प्रतिस्थापन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पुनः सिफारिश की थी। यद्यपि, गृह मंत्रालय ने 3 मार्च, 1998 के पत्र के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एचएवी/आरएम को वारंट अधिकारी के रूप में फिर से नामित करने की सिफारिश इस शर्त के अधीन की थी कि एचएवी/आरएम के पूर्व-संशोधित और संशोधित वेतनमान अन्य अर्धसैनिक बल सीआरएफ़पी और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल (आर एम) के वेतनमान

के समान थे। स्पष्ट रूप से, मौजूदा मामले में, दोनों अर्धसैनिक बलों के वेतनमानों में अंतर शैक्षणिक योग्यता या कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति की असमानता के आधार पर नहीं होकर बल्कि केवल इस आधार पर किया जा रहा है कि चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में प्रारंभिक विसंगति थी। जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट करने का प्रयास भी नहीं किया गया है कि असम राइफल्स में एचएवी/आरएम का मामला अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में रेडियो मैकेनिक्स से कैसे भिन्न है। [पैरा 18] [114-जी, 115-डी]

2.3 स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, सेवा के मूल्यांकन के लिए बाहरी तुलनाओं, आंतरिक सापेक्षताओं और अन्य कारकों की जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह केवल विशेषज्ञ निकाय द्वारा किए जाने वाले जटिल अध्ययन का विषय है। [पैरा 19] [115-ई-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 25/2008

गुहाटी उच्च न्यायालय, अगरतला बैंच के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 497/2001 मे पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.2.2005 के विरूद्ध

बी.दत्ता, ए.एस.जी.,सुनीता शर्मा और सुषमा सूरी अपीलकर्ताओ की और से

रंजीत कुमार, के.वी. विश्वनाथन, हिरेन दासन, कल्याण भौमिक, धीरेन्द्र कुमर मिश्रा और श्रीमती सरला चन्द्रा प्रत्यर्थीगण की और से

न्यायाधिपति - श्री डी.के. जैन द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया :-

1. विलम्ब को क्षमा किया गया।

2. विचारार्थ स्वीकार।

3. भारत संघ और असम राइफल्स के महानिदेशक की यह अपील गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 497/2001 में 11 फरवरी, 2005 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है। आक्षेपित आदेश के अनुसार, रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, निर्देश जारी किए गए हैं कि गृह मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार हवलदार (रेडियो मैकेनिक) के पद को वारंट अधिकारी के रूप में फिर से नामित करने के लिए भारत संघ द्वारा अपने पत्र दिनांक 3 मार्च, 1998 के माध्यम से अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों को आगे बढ़ाया जाएगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में उनके समकक्षों के लिए स्वीकार्य वेतनमान उसी तारीख से प्रदान किया जाएगा।

4. असम राइफल्स में रेडियो मैकेनिक के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता की शिकायत का सार यह था कि गृह मंत्रालय और

असम राइफल्स के महानिदेशक ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि असम राइफल्स के सदस्य को वही रैंक और वेतन संरचना दी जानी चाहिए जो अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दी गई थी। फिर भी उन्हें इससे वंचित कर दिया गया। यह दलील दी गई थी कि चूंकि गृह मंत्रालय ने 26 जनवरी, 1998 के आदेश के जरिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अराजपत्रित कर्मियों की रैंक संरचना को तर्कसंगत बनाने के अपने निर्णय से अवगत कराया था, इसलिए असम राइफल्स में रेडियो मैकेनिक सहित अन्य रैंकों में समान वेतन संरचना लागू जानी थी जो नहीं की गई है। उनका आगे यह कथन था कि चौथे वेतन आयोग के लागू होने के बाद, सामान्य ड्यूटी और तकनीकी श्रेणियों के बीच कोई भेदभाव किए बिना, हवलदार/जीडी और हेड कांस्टेबल/रेडियो मैकेनिक का वेतन 975-1660 रुपये के वेतनमान में तय किया गया था। लेकिन भेदभाव तब सामने आया जब असम राइफल्स में रेडियो मैकेनिकों को समान वेतनमान देने से इनकार करते हुए बीएसएफ में काम करने वाले रेडियो मैकेनिकों को 1200-2040 रुपये का उच्चतर वेतनमान दिया गया। यह भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस संगठन में काम करने वाले रेडियो मैकेनिकों को 10 अक्टूबर, 1997 से उच्चतर वेतनमान दिया गया था, जिसे असम राइफल्स में समान रैंक धारकों को देने से इनकार किया जा रहा था।

5. रिट याचिका का भारतीय संघ द्वारा विरोध किया गया। जिनक ओर से दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिश जो 01 जनवरी 1986 से प्रभावी हुई, द्वारा असम राइफल्स कर्मियों को पूरी तरह से अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान और भत्ते दिए गए थे। हालाँकि, चूंकि अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तरह असम राइफल्स की रैंक संरचना में बदलाव नहीं किए गए थे, इसलिए रेडियो मैकेनिक रैंक सहित कर्मियों की कुछ श्रेणी की सेवा शर्तों में स्पष्ट असमानता पैदा हो गई थी। यह भी बताया गया कि असम राइफल्स निदेशालय द्वारा फरवरी, 1998 में इस असमानता को गृह मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था, और असम राइफल्स में रेडियो मैकेनिक और हेड कांस्टेबल को वारंट अधिकारी के रूप में फिर से पदनामित करने और प्रतिस्थापन की सिफारिश की गई थी। उन्हें अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों में उनके समकक्षों के समान लाने के लिए 4000-6000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। यह कहा गया था कि उक्त सिफारिश के जवाब में, गृह मंत्रालय ने 3 मार्च, 1998 के पत्र के माध्यम से असम राइफल्स को सूचित किया था कि वे हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) को वारंट अधिकारी के रूप में फिर से नामित कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका पूर्व-संशोधित और संशोधित वेतनमान सीआरपीएफ और बीएसएफ में उनके समकक्षों के वेतनमान के

समान हो। हालाँकि, उक्त संसूचना के आलोक में रैंकों का पुन: पदनामित नहीं किया जा सका क्योंकि असम राइफल्स में एक रेडियो मैकेनिक के वेतनमान और सीआरपीएफ और बीएसएफ में उनके समकक्षों के वेतनमान के मध्य असमानता थी। यह माना गया कि यद्यपि, असम राइफल्स के साथ-साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ में रेडियो मैकेनिक के पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता समान थी, फिर भी असम राइफल्स और उक्त दो अन्य अर्धसैनिक बलों के मध्य संशोधित वेतनमान में असमानता थी। दिल्ली पुलिस संगठन के वेतनमान की तर्ज पर उच्चतर वेतनमान के लिए याचिकाकर्ता के दावे का इस आधार पर गंभीरता से विरोध किया गया कि असम राइफल्स एक केंद्रीय पुलिस संगठन है, यह दिल्ली पुलिस संगठन के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है, जो कि एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल नहीं है।

6. भारत संघ की इस स्वीकारोक्ति के दृष्टिगत, कि असम राइफल्स के सदस्यों और अन्य अर्धसैनिक बलों के समान रैंक वाले कर्मियों के वेतनमान के मध्य असमानता के चलते, उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि यह अनुचित और भेदभावपूर्ण होगा यदि सीआरपीएफ और बीएसएफ में रेडियो मैकेनिकों को दिए गए वेतनमान असम राइफल्स के रेडियो मैकेनिकों को देने से इनकार कर दिया गया, जबकि तीनों संगठनों में योग्यताएं और सेवा

आवश्यकताएं समान थीं। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश जारी किए, जिन पर इस अपील में सवाल उठाया गया है।

7. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बी.दत्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के द्वारा कई निर्णयों में प्रतिपादित इस कानूनी स्थिति के विपरीत है कि वेतन निर्धारण अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी कार्य है, जो कि आमतौर पर वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण होती है। यह तर्क दिया गया कि चूंकि न्यायालय स्वयं सेवा मूल्यांकन का कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। अतः विशेषज्ञ निकाय द्वारा की गई सिफारिशें लागू किए जाने योग्य नहीं है। उक्त प्रतिपादना के समर्थन में, इस न्यायालय के दो निर्णयों एससी चंद्रा व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य [2007] 9 एस सी सी 130 तथा भारत संघ व अन्य बनाम हिरण्मय सेन एवं अन्य 2007 (12) स्केल 170 पर भरोसा किया गया है।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि अर्द्धसैनिक बलों में उनके समकक्षों एवं असम

राइफल्स, विशेष रूप से रेडियो कर्मियों के वेतनमान में विसंगति थी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पूरी तरह से उचित थे। यह बताया गया कि वास्तव में, असम राइफल्स के महानिदेशक, जो वर्तमान अपील में याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, ने स्वयं गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी कि रेडियो मैकेनिकों के वेतनमान में विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि महानिदेशक की ओर से उन्हीं की सिफारिश के अनुरूप उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का विरोध करना अनुचित है। यद्यपि, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी का दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ समानता के लिए दबाव नहीं रहा था।

9. इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला है जिनमें समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर विचार, व्याख्या और कार्यान्वयन किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में प्रतिपादित किया गया था। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य (1982) 1एस सी सी 618 में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल एक लोकतांत्रिक नारा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक लक्ष्य है, जिसे संवैधानिक उपचारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और यह

माना गया कि इस सिद्धांत को सविंधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के तहत पढ़ा जाना चाहिए। इस निर्णय की पुष्टि डीएस नकारा व अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एस सी सी 305 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा की गई थी। इस प्रकार, अनुच्छेद 14 और 16 में समानता और भेदभाव के विरूद्ध निषेध के संवैधानिक आदेश को ध्यान में रखते हुए, समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत ने मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

10. प्रारंभ में, विशेष रूप से अस्सी के दशक की शुरुआत में, उक्त सिद्धांत को एकाकी नियम के रूप में लागू किया जा रहा था, लेकिन अन्य संवर्गों पर इसके व्यापक प्रभाव को महसूस करते हुए, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में सावधानी बरती गई कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत समान कार्य के प्रत्येक मामले में गणितीय ढंग से लागू नहीं होता। यह देखा गया है कि पदों का समानीकरण और वेतन संरचना का समानीकरण जटिल होने के कारण यह कार्य आम तौर पर कार्यकारी और विशेषज्ञ निकायों जैसे वेतन आयोग आदि पर छोड़ दिए जाते हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि सावधानीपूर्वक विकसित वेतन संरचना में आमतौर पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ सकता है और अन्य संवर्गों में भी टाली जा सकने वाली पेचिदगियाँ पैदा हो सकती है।(देखें: सचिव, वित्त विभाग और

अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा एसोसिएशन और अन्य(1993) पूरक (1) एस सी सी 153 और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन। (2002) 6 एस सी सी 72 फिर भी, ऐसा एकाकी नियम तय करना उचित नहीं होगा कि केवल इसलिए कि वेतनमान स्वीकृति एवं निर्धारण का विशेषाधिकार कार्यपालिका को है तो न्यायालय को वेतन संरचना के परीक्षण का क्षेत्राधिकार नहीं होगा एवं पीड़ित कार्मिकों को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा, जैसा कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रचारित किया गया है, उपचार उपलब्ध नहीं होगा। निस्संदेह, जब समान पद या रैंक धारित करने वाले व्यक्तियों की योग्यता, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार केवल इसलिए किया जाता है कि वे अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं या पदों के वर्गीकरण का आधार प्रथम दृष्टया अतार्किक, मनमाना या अन्यायपूर्ण है, तो एेसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

11. भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम एम और गणेश बाबू एवं अन्य (2002) 4 एस सी सी 556 में इसी सिद्धांत पर विचार करते हुए इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि समान वेतन का सिद्धांत किए गए कार्य की प्रकृति पर निर्भर है। इसका आकलन केवल कार्य की मात्रा से नहीं किया जा सकता;

विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में गुणात्मक अंतर हो सकता है। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियाँ फर्क लाती हैं। यह विनिश्चित किया गया कि पद से जुड़े हुए उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में तथा पदधारी से अपेक्षित विश्वनीयता से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि उचित व तर्कसंगत रूप से लिया गया है तो ऐसा निर्णय सम्बन्धित प्राधिकारी का मूल्यवान निर्णय होगा, जिसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

12. हरियाणा राज्य व अन्य बनाम तिलक राज एवं अन्य(2003) 6 एस सी सी 123 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करना हमेशा आसान नहीं होता है क्योंकि विभिन्न संगठनों या यहां तक कि एक ही संगठन में विभिन्न व्यक्तियों के काम की तुलना और मूल्यांकन करने में अंतर्निहित कठिनाइयां होती हैं। यह कहा गया है कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसकी प्रयोज्यता के लिए समान वेतनमान का दावा करने वाले कर्मचारियों के एक समूह और पहले से ही ऐसे वेतनमान अर्जित कर चुके कर्मचारियों के दूसरे समूह के बीच पूर्ण और समग्र पहचान की आवश्यकता होती है। इस बात पर जोर दिया गया है कि समान वेतन की समस्या को गणितीय सूत्र में तब्दील नहीं किया जा सकता है।

13. पुनः हरियाणा राज्य व अन्य बनाम चरणजीत सिंह व अन्य (2006) 9 एस सी सी 321 में तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने हरियाणा राज्य व अन्य बनाम जसमेर सिंह एवं अन्य (1996) 11 एस सी सी 77, तिलक राज (सुप्रा), उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम मनोज के. मोहंती (2003)5 एस सी सी 188 और पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरूण रॉय एवं अन्य (2004) 1 एस सी सी 347 के मामलों में दोहराया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहते हुए कि समान मूल्य के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए तथा यह कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को गणितीय ढंग से लागू नहीं किया जा सकता, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 समूहीकृत एवं समूह से बाहर रखे गए व्यक्तियों के मध्य गुण या विशेषताओ के आधार पर युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है। निःसंदेह, गुणों या विशेषताओं का उनमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। ऐसे कई कारकों का उल्लेख करते हुए, जिनका समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त की अनुप्रज्योता से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त सिद्धान्त के तहत किसी सेवा के कई आयामों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अतः इस सिद्धान्त की अनुप्रयोज्यता के सम्बन्ध में मूल्यांकन एवं तय करने का कार्य विशेषज्ञ समूह पर

छोड़ देना चाहिए तथा न्यायालयों को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक आवश्यक सामग्री के आधार पर इस बात की सम्पुष्टि नहीं हो जाए कि दावा के समर्थन में अभिलेख पर इस बात के प्रमाण है कि समान कार्य एवं समान गुणवत्ता व अन्य सुसंगत कारणों की पूर्ति हो रही है।

14. पूर्वोक्त व्यापक दिशानिर्देशों की कसौटी पर परखने के पश्चात् हमारी राय है कि वर्तमान मामले में, पक्षकारों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में अभिलेख पर प्रस्तुत दलीलों और सामग्री के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्देश जारी करना उचित था।

15. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के संकल्प दिनांक 30 सितंबर, 1997 के पैरा 7 के अनुसरण में गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 10 अक्टूबर, 1997 के अनुसार, यह अधिसूचित किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय पुलिस संगठनों के अराजपत्रित कैडर के वेतनमान की संरचना को तर्कसंगत बनाने पर सहमति दी गई है और इसके परिणामस्वरूप कुछ रैंकों का विलय किया जाना था और संशोधित वेतनमान और प्रतिस्थापन वेतनमान के साथ रैंक संरचना को क्रम में सूचित किया गया था। इस आदेश की कॉपी असम राइफल्स समेत सभी अर्धसैनिक बलों को भेज दी

गई। 22 जनवरी, 1998 को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन जारी कर स्पष्टीकरण जारी किया गया। उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 10 अक्टूबर 1997 का आदेश सभी विज्ञापित श्रेणियों पर समान रूप से लागू है। उक्त पत्र में, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में हेड कांस्टेबल (आरएम) सहित तीन पदों को एएसआई के रूप में पुन: नामित करने के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन वेतनमान के संबंध में भी निर्देश दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में रैंक और वेतन में असमानता को हल नहीं किया जा सका और 24 अप्रैल, 2001 को महानिदेशक असम राइफल्स ने वेतन विसंगति मामलों पर प्रगति के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। उक्त पत्र का पैरा 4 वर्तमान मुद्दे से कुछ प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

"तकनीकी संवर्ग के व्यक्ति आरएम, पीटीएमएन, फार्मा और एआर कंपाउंडर को एचएजी की रैंक दी जाती है तथा सीपीओ में उनके समकक्षों को एएसआई दिया जाता है। जहाँ पर अन्य तकनीक से के एएसआई रैंक से उपलब्ध थे, वहाँ पर ऐसा प्रस्ताव वित्तीय विविक्षा सहित प्रस्तुत करने का निर्देश एचएमए ने दिया जिसमें बीएसएफ के साथ कैडर से कैडर की तुलना की गई हो। वित्तीय विविक्षा के साथ प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है और

मामला अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है।"

16. सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने पर, एक रेडियो मैकेनिक ने गृह मंत्रालय और असम राइफल्स के महानिदेशक को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 10 अक्टूबर 1997 के कार्यालय आदेश एवं दिनांक 22 जनवरी, 1998 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करने की प्रार्थना की गई। दिनांक 26 दिसंबर, 2001 के आदेश के माध्यम से, गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स के महानिदेशक को सूचित किया कि उनके प्रस्ताव का वित्त मंत्रालय के परामर्श से परीक्षण किया गया था जिसमें यह पाया गया कि विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ऐसे पदों के लिए ग्रेड और वेतनमान की तुलना के लिए कोई तुलनात्मक बिन्दु नहीं था। यह कहा गया कि प्रस्तावित उन्नयन असम राइफल्स के भीतर विभिन्न ट्रेडों और ग्रेडों की सापेक्षता को अव्यस्थित कर सकता है और इन पदों को अपग्रेड करने का कोई कार्यात्मक औचित्य नहीं था। यह स्पष्ट है कि बल के महानिदेशक द्वारा की गई सिफारिश को अस्वीकार करने पर, प्रतिवादी के पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

17. जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करके रिट याचिका का विरोध किया गया था। त्वरित संदर्भ के लिए, जवाबी हलफनामे के कुछ पैराग्राफों में प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

" रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में दिए गए याचिकाकर्ता के कथनों के संबंध में, मैं कथन करता हूं कि असम राइफल्स के जवान समूह ए, बी, सी, डी और ई के रूप में उनकी कार्यात्मक गुणवत्ता, आवश्यकता अनुरूप अलग-अलग वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। मैं कथन करता हूं कि 01.01.1986 से चौथे वेतन आयोग की सिफारिश पर बल के लिए वेतन और भत्तें पूरी तरह से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर प्रदान किए गए थे, जबकि रैंक संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया था और रैंक संरचना में इस अंतर के परिणामस्वरूप उनकी सेवा शर्तों में स्पष्ट असमानता आ गई है और रेडियो मैकेनिक श्रेणी सहित पूर्ववर्ती उच्चतर समूहों में रखे गए कुछ निश्चित श्रेणी के कर्मियों को भी सेना या केंद्रीय पुलिस संगठन में उनके समकक्षों के बराबर वेतनमान से वंचित कर दिया गया है। "

" रिट याचिका के पैराग्राफ 8 में दिए गए याचिकाकर्ता के कथनों के संबंध में, मैं दोहराना चाहता हूं कि असम राइफल्स के कर्मी समूह बी, सी, डी और ई के जैसे विभिन्न समूहों में उनकी कार्यात्मक गुणवत्ता और आवश्यकता अनुरूप अलग-अलग वेतनमान सेना में देय वेतन और भत्तों के अनुरूप प्राप्त कर रहे थे।1 जनवरी, 1986 से चौथे वेतन आयोग की सिफारिश पर बल को पूरी तरह से केंद्रीय अर्धसैनिक, बलों (संक्षेप में सीपीएमएफ) की तर्ज पर वेतन और भत्ते दिए गए जबकि रैंक संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया था तथा रैंक संरचना में इस अन्तर के कारण उनकी सेवा शर्तों में स्पष्ट असमानता आ गई है। "

" कि, रिट याचिका के पैराग्राफ 10 से 13 में दिए गए याचिकाकर्ता के कथनों के संबंध में, मैं गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 27011/1103/97-पीएफ.1/56 दिनांक 22 जनवरी, 1998 की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करना चाहता हूं। असम राइफल्स निदेशालय ने पत्र संख्या ए/पर्स/5 वीं सीपीसी/वॉल्यूम.III/98 दिनांक 18 फरवरी, 1998 द्वारा एचए के साथ एचएवी/आरएम-जीडीई पुनः नामित करने के लिए असम राइफल्स के जीडीई । और II को वारंट अधिकारी के रूप में और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन में उनके समकक्षों

के बराबर लाने के लिए 4000-1000-6000/- रुपये के वेतनमान के प्रतिस्थापन के लिए मामला उठाया था। मेरा निवेदन है कि चतुर्थ वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हवलदार/आरएम जीडीई । और ॥ को निचले वेतनमान में रखने के संबंध में भी गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया था। असम राइफल्स निदेशालय के पत्र के जवाब में गृह मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 27011/103/97-पीएफ1 दिनांक 3 मार्च, 1998 के जरिए इस बात को खारिज कर दिया था कि यदि पूर्व-संशोधित और संशोधित वेतनमान है तो असम राइफल्स एचसी (आरएम) को वारंट अधिकारी के रूप में फिर से नामित कर सकता है। असम राइफल्स में हवलदार (आरएम) का वेतनमान बीएसएफ और सीऔरपीएफ में एचसी (आरएम) के वेतनमान के समान है। मेरा निवेदन है कि असम राइफल्स में उक्त आदेश को लागू करने में मुख्य बाधा यह है कि असम राइफल्स में आरएम के वेतनमान के मुकाबले में बीएसएफ और सीआरपीएफ के वेतनमान में असमानता है। असम राइफल्स के हवलदार (आरएम) 1 जनवरी, 1986 से 975- 1660/- रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और 5 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार प्रतिस्थापन वेतन

3200-4900 रुपये प्रति माह है जबकि सीआररपीएफ और बीएसएफ में हवलदार (आरएम) प्रति माह 1200-30-1560-40-2040/- रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, जिसका 5 वें केंद्रीय वेतन आयोग में प्रतिस्थापन वेतनमान 4000-100-6000 रुपये है। यहां यह स्पष्ट करना भी उचित है कि अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों में एचसी (आरएम) की योग्यता असम राइफल्स हवलदार (आरएम) के लगभग बराबर है। "

"रिट याचिका के पैरा 13 में दिए गए कथन के अनुसार, याचिकाकर्ता दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए स्वीकृत उच्च वेतनमान अर्थात 5000-150-8000/- की मांग कर रहा है। मैं कथन करता हूं कि चूंकि असम राइफल्स अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन के बराबर है, इसलिए याचिकाकर्ता की किसी अन्य विभाग के साथ समानता की मांग संभव नहीं है। ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों के साथ समानता लाने के लिए, असम राइफल्स निदेशालय के पत्र संख्या ए/कार्मिक/45 वें के तहत रेडियो यांत्रिकी सहित तकनीकी श्रेणियों के लिए वारंट अधिकारी रैंक (सहायक उप निरीक्षक के बराबर) देने का प्रस्ताव है। सीपीसी/खंड III/98/77 दिनांक 6 अप्रैल,

1998 और गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए बाद के प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। मैं कथन करता हूं कि गृह मंत्रालय ने एलओएआर (संपर्क कार्यालय, असम राइफल्स) को यह भी सूचित किया है कि तकनीकी श्रेणियों में वारंट ऑफिसर रैंक की शुरूआत का मामला वर्तमान में 29 अगस्त, 2000 से वित्त मंत्रालय (ई-III) के पास लम्बित है। (जोर दिया गया)

"

18. जवाबी हलफनामे के पूर्वोक्त निकाले गए पैराग्राफ और ऊपर उल्लिखित पत्राचार के बायोडाटा से, यह स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया है कि: (i) असम राइफल्स सहित सभी अर्धसैनिक बल एक-दूसरे के बराबर हैं और (ii) असम राइफल्स के कर्मियों के वेतनमान में अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उनके समकक्षों के साथ स्पष्ट असमानता थी। इस असमानता को सुधारने के लिए, असम राइफल्स के महानिदेशक, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने, अपने पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1998 के माध्यम से, वास्तव में, गृह मंत्रालय के साथ प्रतिवादी की शिकायत उठाई थी, असम राइफल्स के हवलदार (आरएम) जीडी- I और II को वारंट ऑफिसर के रूप में पदनामित और उन्हें अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों में उनके समकक्षों के बराबर लाने के लिए 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान के प्रतिस्थापन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पुनः

सिफारीश की थी। हालाँकि, गृह मंत्रालय ने 3 मार्च, 1998 के पत्र के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एचएवी/आरएम को वारंट अधिकारी के रूप में फिर से नामित करने की सिफारिश इस शर्त के अधीन की थी कि एचएवी/आरएम के पूर्व-संशोधित और संशोधित वेतनमान अन्य अर्धसैनिक बल सीआरएफ़पी और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल (आरएम) के वेतनमान के समान थे। स्पष्ट रूप से, मौजूदा मामले में, दोनों अर्धसैनिक बलों के वेतनमानों में अंतर शैक्षणिक योग्यता या कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति की असमानता के आधार पर नहीं होकर बल्कि केवल इस आधार पर किया जा रहा है कि चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में प्रारंभिक विसंगति थी। जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट करने का प्रयास भी नहीं किया गया है कि असम राइफल्स में एचएवी/आरएम का मामला अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में रेडियो मैकेनिक्स से कैसे भिन्न है।

19. इसलिए, वर्तमान मामले में, स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, सेवा के मूल्यांकन के लिए बाहरी तुलनाओं, आंतरिक सापेक्षताओं और अन्य कारकों की जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह केवल विशेषज्ञ निकाय द्वारा किए जाने वाले जटिल अध्ययन का विषय है।

20. इस प्रकार, हमारे समक्ष विचार हेतु संक्षिप्त प्रश्न यह है कि ऊपर उल्लिखित अपने हल्फनामे में रेडियो मैकेनिक्स के वेतनमान में 'स्पष्ट असमानता' और 'विसंगति' को स्वीकार करने के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारियों एवं याचिकाकर्ताओं को दृष्यमान भेदभावपूर्ण वर्गीकरण को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले असम राइफल्स के कर्मियों के संशोधित पूर्व और संशोधित वेतनमान में असमानता के कारण वेतनमान में, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ होने के बावजूद हमारी सुविचारित राय में, भारत संघ की ओर से ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया कि असम राईफल्स के रेडियो मैकेनिक्स अन्य अर्धसैनिक बलों के रेडियो मैकेनिक्स की तुलना में अधिक कठिन एवं ज्यादा भारित कार्य सम्पादित कर रहे थे। अतः सरकार का आलौच्य आदेश स्पष्टया अविवेकपूर्ण एवं मनमाना था, जो इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

21. ऊपर उल्लेखित तथ्यात्मक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्देशों में ऐसी कोई भी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इस अपील में कोई सार नहीं है और इसे लागत सहित खारिज किया जाता है।

के.के.टी. अपील अस्वीकार।

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ' सुवास ' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार, और.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः

यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।